भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पोस्ट बॉक्स नं.11500,मुम्बई-400 020

सं. 28(19)/2006-एम एस/ दिनांक-12 सितंबर 06

परिपत्र सं.2
(2006-2007 श्रृंखला)
विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियो)

1. अंतर मंत्रालय संचालन समिति (अं मं सं स) के द्वारा उनकी दिनांक 24 जुलाई 2006 को नई दिल्ली में हुई 21वीं बैठक में लिए गए निर्णय ।

(i) ऑयल हीटेड पी एल सी कन्ट्रोल्ड कैलेण्डरींग मशीन जिसे प्रौउनियो के अंतर्गत प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त 10 प्रतिशत की आर्थिक सहायिकी के लिए शामिल किया गया है।

ऑयल हीटेड पी एल सी कन्ट्रोल्ड 3 बाउल कैलेण्डरींग मशीन को प्रौउनियो के अंतर्गत प्रोसेसिंग क्षेत्र की सूची के अंतर्गत 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त 10 प्रतिशत की आर्थिकी के लिए शामिल किया गया है :-

अनुलग्नक-जे-40 कैलेण्डरींग मशीन (7 बाउल्स)/ऑयल हीटेड पी एल सी कन्ट्रोल्ड 3 बॉउल कैलेण्डरींग मशीन ।

2. आई डी बी आई द्वारा अतिरिक्त बैंकों का सहयोजन

गैर औद्योगिक इकाई के लिए नोडल अभिकरण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने अभ्युदय को . ऑपरेटिव बैंक लि., कृष्णा बैंक लि. धनलच्छमी बैंक लि. सेन्चुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि. एवं द सूरत डिस्ट्रीक्ट को ऑपरेटिव बैंक लि. को सहयोजित किया है ।

3. तकनीकी सलाहकार यह संचालन समिति द्वारा उनकी दिनांक 9 मई 2006 को हुई 28वीं बैठक में लिए गए निर्णय :-

एक स्पष्टीकरण पूछा गया कि यदि कोई मिल जो प्रौ उ नि यो के अंतर्गत-पात्र है और उसका कैप्टिव पावर जनरेशन यूनिट मिल को प्रदत्त 100 प्रतिशत आर्थिक सहायिकी के अंतर्गत है यदि 100 प्रतिशता आर्थिक सहायिकी का उपयोग करते हुए मुख्य मिल द्वारा सम्पूर्ण उत्पन्न बिजली का उपयोग कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या कैप्टिव बिजली उत्पादन प्लांट प्रौ उ नि यो की सहायता प्राप्ति का पात्र होगा ।

प्रौउनियो से सुसंगत इकाई द्वारा 100 प्रतिशत आर्थिक सहायिकी के तहत उन्हीं निदेशकों के साथ एवं 100 प्रतिशत कैप्टिव कन्जमशन वाली इकाईयाँ प्रौउनियो की पात्र होंगी। प्रौउनियो के उपरोक्त संशोधनों/स्पष्टीकरणों को सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त

प्रति :-

1. सभी राज्यों के सचिव (वस्त्र)
2. आईडीबीआई एवं सिडबी के सभी प्रा.ऋ.संस्थान
3. सभी मुख्य वस्त्रोद्योग संघ/व्यापार संघ/अखिल भारतीय उद्योग संघ/वाणिज्य एवं उद्योग मंडल
4. वस्त्र आयुक्त के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी
5. सचिव, वस्त्र समिति, मुंबई
6. सभी विद्युत करघा सेवा केंद्रों के प्रभारी अधिकारी
7. सभी वस्त्र अनुसंधान संघों के निदेशक
8. सभी ई.पी.सी. के कार्यकारी निदेशक
9. विकास आयुक्त (हथकरघा)
10. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
11. पटसन आयुक्त
12. सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड
13. महानिदेशक, एनआईएफटी
14. प्रमुख वृत्त अभिकरण

उपरोक्त संदेश को समाचार पत्रों/आवधिकों/पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित/समावेश करके प्रौ.उ.नि. योजना में किए गए संशोधनों/आशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाने के अनुरोध के साथ ।

प्रतिलिपि निम्नलिखितों को सूचना हेतु :-

1. आईएम.एस.सी. एवं टी.ए.एम.सी. के सभी सदस्य
2. श्री अतुल चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली -11.
3. श्री अजय कुमार, निदेशक, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली -11.

(श्रीमती शशी सिंह)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त